

कार्यालय- अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

पत्रांक: सीएसयूडब्लू- 330 /2025

दिनांक: 20/6/2025

संशोधित आदेश

कार्यालय आदेश सं०: सीएसयूडब्लू-314/2025 दिनांक 18.06.2025 द्वारा शेखर छात्रावास में अधिवासित कुछ छात्रों द्वारा अपने कमरों में बिना अनुमति के कूलर का प्रयोग करने पर अर्थदण्ड निरूपित किया गया है, उक्त आदेश में टंकण त्रुटिवश कम सं०: 03 पर श्री रोहित कुमार जयसवाल, सी०ए० 12891/23 के स्थान पर श्री राहुल कुमार जयसवाल, सी०ए० 12891/23 एवं कम सं० 04 पर श्री शिव लखन, सी०ए० 12887/23 के स्थान पर श्री सहवी लखन, सी०ए० 12887/23 अंकित हो गया है, जिसे उक्त सीमा तक संशोधित पढ़ा एवं समझा जायें।



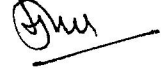
(मुनीश कुमार)

अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित छात्र द्वारा छात्रावास अधीक्षक, शेखर छात्रावास।
2. छात्रावास अधीक्षक, शेखर छात्रावास।
3. छात्रावास परिचर, शेखर छात्रावास।
4. पटल सहायक, बीमा एवं मेस।
5. प्रभारी, ए०के०एम०यू० को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. कुलपति के तकनीकी सचिव को मा० कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।



(मुनीश कुमार)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

